HARYANA GOVERNMENT

RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Directions

The 31st March, 2016

No. 19/6/2016-5P.— In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (Central Act 52 of 2001), the Governor of Haryana hereby issue the following directions for enforcement of the Energy Conservation Building Code, namely:-

1. **Definitions.**- In these directions, unless the context otherwise requires,—
   (a) "kVA" means kilovolt-Amperes;
   (b) "kW" means kilowatt;
   (c) "Prescribed authority" means the concerned department i.e. local body or organization or authority, empowered by relevant law to sanction building plans; to inspect the building; and/or to issue the completion/occupation certificate to the project developers or their authorized agents.
   (d) "Project developer" means the owner of the building complex.
2. Words and expressions used and not defined above but defined in the Energy Conservation Act, 2001 (Central Act 52 of 2001) and Energy Conservation Building Code, shall have meanings respectively assigned to them in that Act/Code.
3. The provisions of Energy Conservation Building Code shall be applicable to all buildings of categories listed below having connected load of 100 KW or above or a contract demand of 120 KVA or above,-
   (i) Commercial Complexes, Shopping Malls, Trade Buildings.
   (ii) Hotels, Motels, Restaurants, Transit-cum-Boarding Houses, Banquet Halls, Janj Ghars, Resorts.
   (iii) Cinema Halls, Auditoriums, Clubs, Convention Centers, Concert Halls.
   (iv) Office Buildings, Banks, Public Assistance Institutions.
   (v) Hospitals, Institutional Care Centers, Institutional Buildings, Information and Technology Parks, Cyber Parks and Business Process Outsourcing (BPO) Buildings.
4. These directions shall be applicable on the buildings specified in Serial Number 3 above, of which the building plans are submitted to the prescribed authority 120 days after the date of publication of these directions in the Official Gazette.
5. No building plans shall be sanctioned by any prescribed authority after coming into force of these directions unless those plans confirm to the specifications provided in the Energy Conservation Building Code. For this purpose the project developers or their authorized agents shall be required to submit, a certificate issued by a Registered Architect confirming that the building plans confirms to the Energy Conservation Building Code along with the building plan and formats prescribed by Bureau of Energy Efficiency / Government of India.
6. While sanctioning the building plan in accordance with the aforesaid provisions, the prescribed authority shall specify various stages of construction of the building at which the building shall be got inspected by it to ensure strict adherence to the Energy Conservation Building Code.
7. The completion certificate to all those buildings on which these directions are applicable shall be granted only if they are constructed in accordance with the Energy Conservation Building Code and the building plan sanctioned in accordance with these directions.
8. The prescribed authority shall maintain a register of the buildings to which these directions are applicable and send a quarterly information to the Department of Renewable Energy containing therein a list of the buildings sanctioned or completion certificates awarded after coming into force of these directions.
9. In case a project developer or his agent violates the provisions of the Energy Conservation Building Code, or any provisions of these directions, appropriate action shall be taken against such project developer by the prescribed authority which may include cancellation or denial of the completion or occupation certificate or such other penalty as may be prescribed.
10. The prescribed authority shall amend its building Bye-Laws within a period of four months from the date of publication of these directions in the Official Gazette for strict enforcement of the Energy Conservation Building Code and for prescribing penalties in case of its violation.

ANKUR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Renewable Energy Department.

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

निर्देश

दिनांक 31मार्च, 2016

संख्या 19/6/2016–5P.— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का केन्द्रीय अधिनियम 52), की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा उपरोक्त ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को लागू करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात्:–

1. **परिभाषाएं.**– इन निर्देशों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
   (क). ''केवीए'' से अभिप्राय है किलोवॉल्ट–एम्पीयर;
   (ख). ''केडब्ल्यू'' से अभिप्राय है किलोवाट;
   (ग). ''विहित प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, भवन नक्शों को स्वीकृत करने, भवनों का निरीक्षण करने, और/अथवा परियोजना विकासकों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं को समापन/अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने से सम्बंधित सुसंगत विधि द्वारा सशक्त सम्बद्ध विभाग अर्थात् स्थानीय निकाय या संगठन या प्राधिकरण;
   (घ). ''परियोजना विकासक'' से अभिप्राय है, भवन समूह का स्वामी।
2. इन निर्देशो में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता में दिए गए हैं;
3. ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के उपबन्ध 100 केडब्ल्यू या इससे अधिक के सम्बद्ध भार अथवा 120 केवीए या इससे अधिक अनुबन्ध मांग वाले सूचीबद्ध सभी वाणिज्यिक भवनों के प्रवर्गों को लागू होंगे.–
   (i) व्यावसायिक समूहों, शॉपिंग माल्स, व्यवसायिक भवनों;
   (ii) होटल्स, मोटल्स, रेस्तरां, ट्रांजिट कम बोर्डिंग हाउस, समारोह स्थल, जंज घर, सैरगाह;
   (iii) सिनेमाघर, सभागार, क्लब, गौष्ठी केन्द्र, संगीत हाल;
   (iv) कार्यालय भवन, बैंक, जन सहायता संस्थाएं;
   (v) अस्पताल, संस्थागत देखभाल केन्द्र, संस्थागत भवन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी पार्क, साईबर पार्क तथा व्यावसायिक प्रोसेस आउटसोर्सिंग भवन;
4. ये निर्देश उपरोक्त क्रम संख्या 3 में विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक भवनों पर लागू होंगे जिनका भवन नक्शों राजपत्र में इन निर्देशों के प्रकाशन की तिथि के 120 दिन के बाद विहित प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए हों।
5. कोई भी भवन नक्शा किसी विहित प्राधिकरण द्वारा इन निर्देशों के लागू होने के बाद तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक वे नक्शे ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता में उपबंधित विशिष्टियों के अनुरूप न हों। इस प्रयोजन के लिए परियोजना विकासकों अथवा उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं से किसी पंजीकृत वास्तुकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र यह पुष्टि करते हुए कि भवन नक्शा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूपों के अनुरूप है, सहित भवन नक्शा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।
6. उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार भवन नक्शा स्वीकृत करने के दौरान, विहित प्राधिकरण भवन संरचना के विभिन्न चरणों को विनिर्दिष्ट करेगा जिन पर भवन ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए इसके निरीक्षित किया जाएगा।
7. सभी उन भवनों को, जिन पर ये निर्देश लागू हैं, समापन प्रमाणपत्र केवल तभी दिया जाएगा यदि वे ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुसार निर्मित किए गए हैं तथा भवन योजना इन निर्देशों के अनुसार स्वीकृत की गई है।
8. विहित प्राधिकरण ऐसे भवनों की, जिन पर यह निर्देश लागू हैं, एक पंजिका बनाएगा तथा अक्षय ऊर्जा विभाग को इन निर्देशों के लागू होने के उपरांत स्वीकृत किए गए भवनों अथवा जारी किए गए समापन प्रमाणपत्रों की सूची सहित त्रैमासिक सूचना भेजेगा।
9. यदि परियोजना विकासक अथवा उसका अभिकर्ता द्वारा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के उपबन्धों अथवा इन निर्देशों के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना करता है तो विहित प्राधिकरण द्वारा ऐसे परियोजना विकासक के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी जिसमें निरस्तीकरण अथवा समापन सर अधिभोग प्रमाणपत्र की मनाही अथवा ऐसी अन्य शास्ति, जो विहित की जाए, भी शामिल हो सकती हैं।
10. ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को कड़ाई से लागू करने के लिए तथा इसके उल्लंघन की दशा में शास्तियाँ विहित करने के लिए विहित प्राधिकरण राजपत्र में इन निर्देशों के प्रकाशित होने की तिथि से चार मास की अवधि के भीतर अपनी भवन उपविधियों में संशोधन करेगा।

अंकुर गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अक्षय ऊर्जा विभाग।